SST No. 61/ 2018
Crime No. 625/2017
State Vs Sudhir Ors
U/s 147, 323/149, 504 IPC
& 3(1)dha sc/st Act

UPPB010023582018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 61/2018

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. सुधीर पुत्र हरीश गंगवार,
2. कपिल देव पुत्र नरेश गंगवार,
3. विनय कुमार पुत्र मेवाराम गंगवार,
4. राजेश पुत्र रामपाल गंगवार,

निवासीगण इमलिया थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

अपराध संख्या– 625/2017
अंतर्गत धारा– 147, 323/149, 504 भा.द.सं. व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना– बरखेड़ा,
जिला– पीलीभीत।

5. कल्लू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र बांके लाल, जाति खटिक
6. राकेश कुमार पुत्र बांके लाल जाति, खटिक

निवासीगण इमलिया थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत।

अपराध संख्या– 625/2017
अंतर्गत धारा– 147, 323/149, 504 भा.द.सं. थाना– बरखेड़ा,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध पुलिस थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत द्वारा धारा 147, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत द्वारा धारा 147, 323,

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.26 16:18:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149, 504 भा.द.सं. व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149, 504 भा.द. सं. में विरचित किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में विचारण किया गया है।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2017 को उसके भाई प्रेमपाल की लड़की की ससुराल इमलिया थाना बरखेड़ा पीलीभीत में लड़के के जन्मदिन पर छोछक लेकर कई लोग आये थे। शाम को सभी रिश्तेदार खाना खाकर दूसरी जगह पर लेटने चले गये तथा घर पर औरते गाना बजाना करने लगी समय करीब 8:30 बजे को गांव के कुछ गलत किस्म के लोग जिनमें सुधीर पुत्र हरीश गंगवार, कपिल पुत्र नरेश कुमार गंगवार, राजेश पुत्र रामपाल, विनय कुमार पुत्र नेवाराम व राजेश कुमार पुत्र बांके लाल आदि लोगों के साथ कल्लू पुत्र बांके लाल आदि लोग हाथों में बंका, डंडा तथा नाजायज हथियार लेकर घर में घुस गये तथा औरतों के साथ गलत व्यवहार करने लगे तथा औरतों से जबरदस्ती जेवर जिसमें एक सोने की चैन व एक जोड़ी सोने की झुमकी छी ली। उसको लड़के की बहू बुलाने गयी, तो वह भी मौका पर पहुंचा, तो वह व लवदेश सिंह पुत्र बादाम सिंह एवं सुरेन्द्र उर्फ नन्हें पुत्र बेचे लाल आदि लोगों के साथ मारपीट की, जिससे लवदेश व सुरेन्द्र के ज्यादा चोटे लगी। उसने रात्रि को ही 108 व 100 पर फोन किया, तब जख्मी लोग 108 से सा0 स्वा0 केन्द्र बरखेड़ा लाये गये तथा वह 100 नम्बर से बरखेड़ा आया। उक्त मुल्जिमान मौका से भाग गये।

(3) उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत में अपराध संख्या 625/17, धारा 395 व 397 भा.द.सं. व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम में अभियुक्तगण सुधीर, कपिल, राजेश, विनय कुमार, राजेश कुमार व कल्लू के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक द्वारा वादी का बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.स. दर्ज किया गया। थाना हाजा की पुलिस द्वारा मजरूबों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षीगण के बयानात लिये। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया तथा विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकतापूर्ण करने के उपरांत अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध धारा 147, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार के विरूद्ध धारा 147, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

(4) अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार के विरूद्ध आरोप अतंर्गत धारा 147, 323/149 व 504 भारतीय दण्ड संहिता में मेरे पूर्व विद्वान अधिकारी द्वारा दिनांक 17.10.2019 को विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करके विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 वादी बादाम सिंह, पी0डब्लू0 2 दीनानाथ व पी.डब्लू. 3 मेवाराम को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	बादाम सिंह	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	दीनानाथ	–	–
3	पी.डब्लू. 3	मेवाराम	–	–

(7) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी.डी. 34, जी.डी. 16, जी.डी. 02, जी.डी. 59, मेडिकल रिपोर्ट व घटनास्थल नक्शानजरी की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता स्वीकार कर लिये जाने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से किसी औपचारिक साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

(8) अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है। साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है, उन्हें कुछ नहीं कहना है। अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया है कि उनको झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा साक्षी पी.डब्लू. 1 को छोड़ कर शेष साक्षीगण पी.डब्लू. 2 व 3 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया हैं परन्तु मात्र इस कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो अभियोजन कथानक को संबल प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी ने अपने बयान में मौके पर होने से इन्कार किया गया है तथा अभियुक्तगण को पहचानने से भी इन्कार किया है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना के मजरूबों को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है तथा शेष साक्षीगण पी.डब्लू 2 व 3 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण वे पक्षद्रोही घोषित हो गये है। अतः इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(12) अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देवी, विनय कुमार व राजेश पर आरोप है कि दिनॉक 11.10.2017 को समय लगभग 20.30 बजे, स्थान वाहद ग्राम इमलिया, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत में आप लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ एक विधि विरूद्ध संगठन का निर्माण कर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा बादाम सिंह, उसके पुत्र लवदेश व सुरेन्द्र उर्फ नन्हें को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, गंदी गंदी गालियां देने तथा लोकदृष्टि वाले स्थान पर उसकी जाति को संबोधित करते हुए जातिसूचक शब्दो से अपमानित किया गया।

(13) तथा अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार पर आरोप है कि दिनॉक 11.10.2017 को समय लगभग 20.30 बजे, स्थान वाहद ग्राम इमलिया, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत में आप लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ एक विधि विरूद्ध संगठन का निर्माण कर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा बादाम सिंह, उसके पुत्र लवदेश व सुरेन्द्र उर्फ नन्हें को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया गया है।

(14) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 1 वादी बादाम सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना दिनांक 11.10.2017 की है। मेरे भाई प्रेमपाल की लड़की के ससुराल में बच्चे के जन्म पर मैं और मेरे साथ मेरा पूरा परिवार छूछक लेकर गये थे। हम लोग शाम को लगभग 6.00 बजे पहुंचे थे। सभी लोग खुश थे, चारों तरफ खुशी का महौल था। मैं खाना खाकर तथा मेरे साथ कुछ और लगभग लगभग 8.30 बजे सोने चले गये। घर पर औरतें गाना बजाना कर रही थीं, तभी गांव के सुधीर, विनय कुमार, राकेश कुमार, राजेश, कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व कपिल देव आदि लोग हाथों में लाठी डंडा, बंका लेकर घर में घुस आये और एक राय होकर औरतों के साथ गलत व्यवहार करने लगे तथा औरतों के जेवर खींचने लगे तथा एक जोड़ी झुमकी और मंगल सूत्र व एक चेन खींच लिया। मेरे लड़के लवदेश की बहु प्रियांशी देवी मुझे बुलाने आयीं तो मैं मौके पर पहुंच गया। मैंने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण ने मुझे भी मारा पीटा तथा गांव के लड़के सुरेन्द्र तथा मेरे बेटे लवदेश को मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तगणों ने कहा कि खटिकों तुम लोगों को जान से मार देंगें। मेरे लड़के सोनू ने 108 नम्बर व 100 नम्बर पर फोन किया मौके पर एम्बुलेंस आ गयी थी। एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरखेड़ा लेकर गयी जहां मेरा, मेरे लड़के लवदेश तथा सुरेन्द्र की डाक्टरी हुयी थी। जब हम लोग एम्बुलेंस से जा रहे थे तो रास्ते में 100 नम्बर की गाड़ी मिल गयी थी। पुलिस भी हम लोगों के साथ अस्पताल गयी थी। मैंने घटना के सूचना थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से अगले दिन सुबह दी थी, जिसपर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा लिखा गया था। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर है, पुष्टि करता हूॅ, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ की थी।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मैं मुल्जिमानों को पहले से नहीं जानता था क्योंकि मैं अपने भाई की लड़की की ससुराल में बहुत कम आता जाता था। मैं सिर्फ दो बार वहां गया था। मेरी भतीजी की शादी को लगभग 16–17 साल हो गये। मैं अपने गांव से ट्राली से अपनी भतीजी की ससुराल गया था। मैं मुल्जिमानों को आज भी नहीं पहचान सकता कि किस मुल्जिम का क्या नाम है। मैं आज हाजिर अदालत मुल्जिमानों को भी नहीं पहचानता हूॅ। मैं खाना खा पीकर 8.00 बजे पड़ोस के घर में सोने चला गया था। मेरे साथ मेरे अलावा 2 लोग और थे, जिनके नाम देवपाल पुत्र निरंजन लाल, धर्मपाल पुत्र पूरनलाल गये थे। डी.जे. मेरी भतीजी की ससुराल में बज

रहा था। डी.जे. पर लोग नाच रहे थे। औरतें घर के अन्दर गाना बजाना कर रही थी। मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैंने नहीं बता सकता कि औरतों के साथ किसने गलत व्यवहार किया था। जहां मैं लेटा और जहां औरतें गाना बजाना कर रहीं थीं, वह कमरा थोड़ी ही दूरी पर था। मैं घटना के समय मौके पर नहीं था। मेरी बहु के बताने पर मैं मौके पर पहुंचा था। जब मैं वहां पहुंचा था तो 10–15 लोगों की भीड़ थी। जब मैं पहुंचा था, तो मेरा भाई, भतीजा व उसकी बीबी, मेरी बीबी, मेरा लड़का, मजरूब नन्हें, मेरे बहन मुन्नीदेवी व वहनोई धर्मपाल थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां गांव के लोग मौजूद नहीं थे, केवल मेरी भतीजी के ससुराल वाले मौजूद थे। घर के लोग थे। मैं उसी दिन लगभग 9–10 बजे थाने गया था। मैं लगभग आधा पौन घंटा थाने रूका था। मेरी तहरीर दूसरे दिन लिखी थी। तहरीर पर जो नाम लिखे थे वह मुझे कन्यावती ने बताये थे, क्योंकि मुझे उनके नाम नहीं मालूम थे। भतीजी मेरे साथ रिपोर्ट लिखाने थाने गयी थी। मेरे भतीजा दामाद व ससुर भी थाने साथ गये थे। यह कहना गलत है कि जब मैं रिपोर्ट लिखाने थाने गया हूॅ तो भतीजी कन्यावती व उसके पति व उसके ससुर साथ न गये हों। मैं सुबह 8.00 बजे थाने पहुंच गया था। मैं लगभग आधा घंटा थाने रूका था। उसके बाद मैं अपने घर चला आया था। मुझे अपनी भतीजी के घर के चारों तरफ के मकानात मालूम नहीं हैं। मैं छूछक के बाद आज तक अपनी भतीजी की ससुराल नहीं गया हूॅ। मैं दरोगा जी का यह वयान नहीं दिया था कि ''खुशी के महौल के कारण कुछ लोगों ने शराब पी ली थी। मैंने अपने वयानों में किसी भी मारने पीटने वाले के नाम नहीं बताये थे। मैंने दरोगा जी को यह वयान भी दिया था कि ''मेरा लड़का व उसके दोस्त ने कुछ खुशी के महौल के कारण लगा रखी थी। इसी बीच मेरे लड़के लवदेश व उसके मित्र सुरेन्द्र कुछ कह दिया था, जिसपर उन लड़कों से मारपीट हो गयी थी।'' लड़का लवदेश व उसका मित्र सुरेन्द्र मेरे साथ नहीं थे। जहां लड़के डी.जे. के पास खड़े थे, वहीं पर उसके साथ शराब पिये हुये लड़के भी खड़े थे। झगड़ा डी.जे.के पास नहीं हुआ था। मैंने दरोगा जी को यह वयान नहीं दिया था कि कन्यावती के घर के बाहर खाली जगह में डी.जे. लगाा था उसकी पर नाच गाना कर रहे थे। मैंने दरोगा जी को यह वयान नहीं दिया था कि साहब भीड़ काफी थी, हो सकता है कि किसी औरत के धक्का लग गया हो, जान बूझकर तो छेड़खानी नहीं की थी उसी भीड़ में मेरी पुत्रवधू की चेन कहीं गिर गयी थी। यह बात सही है मुल्जिमानों के नाम मुझे नहीं मालूम थे। गांव वालों के बताने पर मैंने लिखा दिये थे। यह कहना गलत है कि मेरे बेटा लवदेश व उसके साथी सुरेन्द्र व उसके साथ के लोगों ने खुशी के महौल में शराब पी ली थी। और आपस में कहासुनी हो गयी थी, जिस कारण इन लोगों में आपस में मारपीट हो गयी हो और चोटें आयीं हो। यह कहना गलत है कि इस बीच बचाव में मेरी भी चोटें आ गयीं थीं। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों ने घर के घुसकर कोई घटना कारित न की हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों ने गन्दी गन्दी गालियां न दी हों। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों ने मुझे व मेरे परिवार वालों को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया हो। यह कहना सही है कि मुझे सरकार से इस मुकदमें में रूपये मिले हैं। यह कहना गलत है कि मैंने सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए मुल्जिमानों के खिलाफ यह झूठा मुकदमा लिखवा दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं आज झूठ बोल रहा हूॅ और गलत वयानी कर रहा हूॅ।

(15) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 दीनानाथ** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''मुझे घटना का दिन तारीख समय याद नहीं है। मैं मौके पर नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी है। बादाम सिंह को मैं जानता हूॅ। बादाम सिंह पास के गांव के है। मुल्जिम सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार, राजेश, कल्लू उर्फ ओमप्रकाश और राकेश कुमार मेरे गांव के है। मै इन्हें

जानता हूॅ। इन लोगों ने वादी मुकदमा व उसके परिवारजनों के साथ क्या घटना कारित की थी। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। सी.ओ. साहब ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि '' गवाह को बयान धारा 161 सी.आर.पी.सी. पढ़कर सुनाये गये, तो साक्षी ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान सी.ओ. साहब को नहीं दिया था। कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैं मौके पर नहीं था। मैंने कोई घटना नहीं देखी। समन आने पर मुझे इस मुकदमे की जानकारी हुई। मैं वादी मुकदमा व उसके परिवारजनों को जानता हूॅ, क्योंकि यह मेरे गांव में आते जाते है। मुल्जिमान मेरे गांव के है। मैं इन्हें जानता हूॅ, लेकिन मैंने वादी मुकदमा और उनके परिवारजनों के खिलाफ किसी भी घटना होने के संबंध में जानकारी नहीं। मुझे घटना के बारे में किसी ने नहीं बताय था। मैंने किसी से पूछा भी नहीं था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान मेरे गांव के है। इस कारण आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। यह भी कहना गलत है कि भय या लालच में मैं आज झूठी गवाही कर रहा हो।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि मुल्जिमान सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश, कल्लू उर्फ ओमप्रकाश तथा राकेश कुमार ने वादी मुकदमा बादाम सिंह व उसके पुत्र लवदेश सिंह व सुरेन्द्र सिंह उर्फ नन्हें को मारापीटा नहीं था और न ही गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया था। इन लोगों ने वादी मुकदमा व उसके परिवारवालों को जातिसूचक शब्द कहकर गालियां नहीं दी थी और नही अपमानित किया था। बादाम सिंह व उसके परिवार वाले छोछक लेकर मेरे गांव में आये थे और खुशी के माहौल में आपस में शराब पी ली थी और आपस में ही कहासुनी होने पर मारपीट हुई थी और चोटे आ गयी थी। सी.ओ. साहब ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे। आज मैं सही बात अदालत में बता रहा हू।''

(16) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 3 मेवाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि '' मुझे घटना का दिन व समय याद नहीं है। मैं शोर सुनकर वहां पर पहुंचा था। मौके पर काफी भीड़ थी। भीड़ होने के कारण मैं देख और सुन नही पाया था किसने किसको जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी और किसने किसको मारापीटा, मैंने नहीं देखा। सी.ओ. साहब ने घटना के संबधं में मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' भीड़ होने के कारण मैंने कोई घटना देखी और सुनी नहीं थी। मैं शोर सुनकर मौके पर पहुंचा था। समन आने पर मुझे इस मुकदमे की जानकारी हुयी। बादाम सिंह और उसके लड़के लवदेश मेरे गांव के नहीं है, अगर मैं उन्हे जानता पहचानता हूॅ। मुल्जिमान मेरे गांव के है। मैं इन्हें जानता पहचानता हूॅ। इन्होंने वादी मुकदमा और उसके लड़के के साथ कोई घटना कारित की थी या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगा को जानने पहचानने के कारण आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। यह भी कहना गलत है कि भय व लालच व दबाव में झूठी गवाही दे रहा हो।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि''मुल्जिम सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार, राजेश, कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार ने वादी मुकदमा बादाम सिंह व उसके परिवार वालों के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही गंदी गंदी गालियां दी थी। न ही जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया था। रात का वक्ता था। वादी मुकदमा मेरे गांव छोछक लेकर आया था। वादी मुकदमा व उसके साथ आये लोगों ने काफी शराब पी रखी थी और आपस में ही कहासुनी करने लगे। एक दूसरे के खिलाफ मारपीट आपस में होने पर उनके चोटे आ गयी थी। मैंने मुल्जिमान को घटनास्थल पर नहीं देखा था। सी.ओ. साहब ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे।

(17) अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए जो साक्षीगण क्रमशः पी0डब्लू0 1 बादाम सिंह, पी0डब्लू0 2 दीनानाथ व पी0डब्लू0 3 मेवाराम को परीक्षित कराये गये हैं, उनमें साक्षी पी0डब्लू0 1 बादाम सिंह वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 11.10.2017 को वह व उसका परिवार अपने भाई प्रेमपाल की लड़की के ससुराल में बच्चे के जन्म पर छोछक लेकर गया था। वह खाना खाकर समय लगभग 8:30 बजे सोने चला गया। घर पर औरतें गाना बजाना कर रही थी, तभी गांव के सुधीर, विनय कुमार, राकेश कुमार, राजेश, कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व कपिल देव आदि हाथों में लाठी डंडों व बंका लेकर घ ार में घुस आये और एक राय होकर औरतों के साथ गलत व्यवहार करने लगे, औरतों के जेवर खींचने लगे। उसके लड़के की बहु प्रियांशी उसे बुलाने आयी, तो वह मौके पर पहुंचा। उसने बीच बचाव किया, तो अभियुक्तगण ने उसे भी मारापीटा तथा गांव के लड़के सुरेन्द्र तथा उसके बेटे लवदेश को मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वह मुल्जिमानों को पहले से नहीं जानता था, क्योंकि वह अपने भाई की लड़की ससुराल में बहुत कम आता जाता था, वह सिर्फ दो बार वहां गया था। वह मुल्जिमानों को आज भी नहीं पहचान सकता कि किस मुल्जिम का क्या नाम है। वह आज हाजिर अदालत मुल्जानों को भी नहीं पहचानता है। वह मौके पर मौजूद नहीं था। वह नहीं बता सकता कि औरतों के साथ किसने गलत व्यवहार किया था। जब वह पहुंचा, तो उसका भाई, भतीजा व उसकी बीबी, उसका लड़का नन्हे व उसकी बहन मुन्नी देवी, बहनोई धर्मपाल व उसकी बीबी थे। वहां गांव के लोग मौजूद नहीं थे। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथित घटना के समय मौके पर होने से इन्कार किया है तथा यह भी कथन किया है कि वह कथित घटना के किसी भी अभियुक्तगण को पहचान हीं सकता है कि किस मुल्जिम का क्या नाम है और हाजिर अदालत मुल्जिमानों को भी नहीं पहचानता है। इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि उसकी बहु प्रियांशी द्वारा बुलाकर ले जाने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा था। मौके पर उसकी भतीजी के परिवार वाले व उसके परिवार वाले मौजूद थे। प्रस्तुत मामले में कथित घटना के मजरूबों को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही वादी मुकदमा की बहू प्रियांशी व उसके भतीजी के परिवार वालों को परीक्षित कराया गया है, जोकि घटना के चक्षदुर्शी साक्षी थे। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का बल नहीं मिलता है।

(18) इसके अतिरिक्त साक्षीगण पी.डब्लू. 2 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर एवं विपरीत कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा घटना के समय मौके पर होने से इन्कार किया गया है, जिस कारण यह पक्षद्रोही घोषित हो गया है। इस साक्षी ने अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पुलिस को दिये जाने से भी इन्कार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(19) इसके अतिरिक्त साक्षी पी.डब्लू. 3 द्वारा भी अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर एवं विपरीत कथन किया गया है। इस साक्षी ने कथन किया है कि वह शोर सुनकर वहां पहुंचा था। मौंके पर काफी भीड़ थी, जिस कारण वह देख और सुन नहीं पाया कि किसने किसको जातिसूचक गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, मारा पीटा। इस साक्षी ने भी अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में धारा 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पुलिस को दिये जाने से इन्कार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(20) जहां तक अभियोजन प्रपत्रों प्रपत्रों आरोप पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी.डी. 34, जी.डी. 16, जी.डी. 02, जी.डी. 59, मेडिकल रिपोर्ट व घटनास्थल नक्शानजरी का प्रश्न है। उक्त प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। निसन्देह अभिलेखीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है परंतु अभिलेखीय साक्ष्य उसी स्थिति में महत्वपूर्ण है जबकि उसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा की गयी हो। वर्तमान मामले में अभिलेखीय साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जब तक कि उक्त अभिलखों की पुष्टि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(21) इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

> आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(22) उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम व अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 भा.द.सं. को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम व अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 भा.द.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 61/2018, मुकदमा अपराध संख्या 625/2017 में अभियुक्तगण सुधीर, कपिल देव, विनय कुमार व राजेश के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम व अभियुक्तगण कल्लू उर्फ ओमप्रकाश व राकेश

कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147, 323/149 व 504 भा.द.सं. के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 26.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 26.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।